पटना में दिनांक--19 अगस्त, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

पथ निर्माण विभाग 1. सालेपुर–नरसंडा–तेलमर–करौटा (NH-30 के कि०मी० 224.00 तक) पथ, कुल लम्बाई 19.43 कि०मी० को 2–लेन से बढ़ाकर 4–लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 53919.00 लाख (पाँच सौ उनचालीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1. स्वीकृत।
पथ निर्माण विभाग 2. पथ प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत राजगीर खेल परिसर–सह –राजगीर अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुँच पथ के पथांश (1.3 कि०मी०) से (NH-120) विरायतन पथांश (8.75 कि०मी०) भाया कुबरी, जैतीपुर, फतेहपुर एवं इण्डो हुके होटल तक कुल लम्बाई–7.40 कि०मी० में आर०ओ०बी० सहित 4–लेन पथ के निर्माण हेतु कुल ₹36399.30 लाख (तीन सौ तिरसठ करोड़ निन्यान्वे लाख तीस हजार) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2 स्वीकृत।
आपदा प्रबंधन विभाग 3. श्री संदीप कुमार, सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी (बि०प्र०से०) का 06 (छः) माह (दिनांक–01.10.2025 से 31.03.2026) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।	3 स्वीकृत।
वित्त विभाग 4. भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के वर्ष 2012–13 से पूर्व के वित्तीय वर्षो का वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेखा अद्यतनीकरण एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	4 स्वीकृत।
वित्त विभाग 5. राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) (GRF) में निवेश हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रूपये (एक हजार करोड़ रूपये) मात्र के अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	5 स्वीकृत।

	कृषि विभाग		
6.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषोन्नति योजना अंतर्गत राज्य के 20 (बीस) बाजार प्रांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (DPR Based Scheme) अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु वन टाईम ग्रांट के रूप में प्राप्त राशि 600.00 लाख (छः करोड़) रूपये (शत् प्रतिशत केन्द्रांश) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	6	स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग		
7.	वर्ष 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।	7	स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग		
8.	राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद्, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति के संबंध में।	8	स्वीकृत।
	पर्यटन विभाग		
9.	पर्यटकों की सुविधा हेतु नालंदा जिले के राजगीर में जन–निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के माध्यम से दो पाँच सितारा होटल एवं वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में एक पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।	9	स्वीकृत।
	गन्ना उद्योग विभाग		
10.	"गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।	10	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
11.	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित ई–लाभार्थी पोर्टल के परीक्षण, संवर्द्धन, रखरखाव, प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन हेतु मनोनयन के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए ₹5,30,78,902 (पाँच करोड़ तीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ दो रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	11	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12.	बाँका जिलान्तर्गत अंचल–कटोरिया, मौजा–मौथाबाड़ी, थाना सं०–96, खाता सं०–204, खेसरा सं०–2610 की कुल प्रस्तावित रकबा–46 एकड़ गैरमजरूआ जोत किस्म–खरहूल भूमि पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी मुख्यालय के निर्माण हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।	12	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13.	मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल–चौसा, मौजा–रसलपुर धुरिया, थाना सं०–130 के खाता सं०–1530, खेसरा सं०–2263 कुल रकबा–02 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म –पुरानी परती भूमि 132/33 के०वी० ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि– 2,25,00,000/–(दो करोड़ पच्चीस लाख) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।	13	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14.	राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025–26 से 15,000/–(पन्द्रह हजार रूपये) से बढ़ाकर 30,000/–(तीस हजार रूपये) प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।	14	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

15.	स्व० उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्घी तालाब के उत्तर–पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।	15	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16.	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली–2025 को संशोधित करते हुए "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्लीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2025" की स्वीकृति के संबंध में।	16	स्वीकृत।